रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 1988/चैत्र 1, 1910
No. 129] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 1988/CHAITRA 1, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 21 मार्च, 1988

सा. का. नि. 359 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सती (निवारण) नियम, 1987 (1988 का 3) के उप खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1988 के मार्च महीने की 21 तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है ।

[फा. सं. 9-109/88—डब्ल्यू. डब्ल्यू. : भाग II]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(Department of Women & Child Development)
NOTIFICATIONS
New Delhi, the 21st March, 1988

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (3) of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), the Central Government hereby appoints the 21st day of March, 1988 as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. 9-109/88-WW : Vol. II]

सा. का. नि. 360(अ).—केन्द्रीय सरकार सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सती (निवारण) नियम, 1988 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:—(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) अभिप्रेत है,

(ख) "प्रतिषेधात्मक आदेश" से धारा 6 के अधीन जारी किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है,

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नही है और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उनका उस अधिनियम में है ।

3. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध करने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन:—(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, निदेश करती है कि धारा 6 के अधीन कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा, जो ग्राम अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो ।

4. धारा 6 के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश कैसे किए जाएंगे:—(1) धारा 6 के अधीन प्रत्येक प्रतिषेधात्मक आदेश, संबंधित ग्राम मे या नगर अथवा शहर की दशा में उस परिक्षेत्र में जिसमें प्रतिषिद्ध कार्य होने की सम्भावना है या वह हुआ है, ड्रम बजाकर या अन्य रूढ़िगत प्रकार से किए जाएंगे ।

(2) प्रतिषेधात्मक आदेश ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में जिससे ऐसा कार्य संबंधित है, किसी सहज दृश्य स्थान पर सम्प्रदर्शित किया जाएगा और उसकी एक प्रति प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय में भी सम्प्रदर्शित की जाएगी और ऐसे सम्प्रदर्शन के बारे में यह माना जाएगा कि वह उस क्षेत्र या क्षेत्रों में, जिससे ऐसा आदेश संबंधित है, सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सूचना है ।

5. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन मन्दिरों या संरचनाओं को हटाने के लिए आदेश करने की रीति:—(1) किसी मन्दिर या संरचना के हटाने के लिए धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने के पूर्व, राज्य सरकार अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी परिवादित कार्यों में अन्तर्वलित व्यक्ति या व्यक्तियों को और हटाए जाने के लिए प्रस्थापित मन्दिर या संरचना के स्वामियों और अधिभोगियों को भी कम से कम 90 दिन की सूचना देगा ।

(2) उपनियम 1 के अधीन सूचना मे निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा—

(1) हटाए जाने के लिए प्रस्थापित मन्दिर/संरचना, उसकी अवस्थिति और अन्य विशिष्टियां,

(2) मन्दिर/संरचना के स्वामी/अधिभोगी, और

(3) धारा 7 के उपबन्धो का उल्लंघन करने वाली उपासना या समारोह का/के विनिर्दिष्ट उदाहरण ।

(3) राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे पुलिस अधिकारी के माध्यम से, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, मन्दिर या संरचना के हटाने का आदेश देगा ।

6. धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन मन्दिरों या संरचनाओं के हटाने के लिए आदेश करने की रीति:—(1) धारा 6 के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करने के पश्चात् कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी जो नियम 3 के अधीन आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा निदेशित किया गया है, धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन कोई मन्दिर या संरचना हटाने के लिए कोई आदेश करने के पूर्व परिवादित कार्यों में अन्तर्वलित व्यक्ति या व्यक्तियों को और हटाए जाने के लिए प्रस्थापित मन्दिर या संरचना के स्वामियों और अधिभोगियों को भी कम से कम 90 दिन की सूचना देगा ।

(2) कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य अधिकारी जो नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा निदेशित किया गया हो, इस नियम के अधीन दिए गए आदेश की दशा में नियम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।

7. मन्दिर या संरचना की सम्पत्ति की सूची और समपहरण—जैसे ही मन्दिर या संरचना के हटाने के आदेश निष्पादित किया जाता है वैसे ही यथा स्थिति राज्य सरकार या कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या वह अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के अधीन आदेश द्वारा निदेशित किया गया हो, ऐसे मन्दिर या संरचना को हटाने के पश्चात् प्राप्त की गई सभी सामग्री और अन्य सम्पत्ति की तालिका उसमे उस स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए जहां वह रखी गई है, तैयार करेगा और उसकी सूचना धारा 13 के अधीन राज्य के लिए उक्त सामग्री या सम्पत्ति के समपहरण की घोषणा के लिए विशेष न्यायालय को भेजेगा यदि विशेष न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है और तालिका की प्रति हटाये गए मन्दिर/संरचना के स्वामियों/अधिभोगियों को भी देगा ।

[फा. सं. 9-109/88—डब्ल्यू. डब्ल्यू. भाग-II]

सी. पी. सुजाया, संयुक्त सचिव

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Commission of Sati (Prevention) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988);

(b) "prohibitory order" means an order issued under section 6;

(c) "section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Act.

3. Delegation of power to prohibit certain acts.—(1) The State Government may, by order and subject to such conditions as it may deem fit to impose, direct that the powers of the Collector or the District Magistrate under section 6 may also be exercised by such other officers, not below the rank of the village officers.

4. Prohibitory orders under section 6, how made.—(1) Every prohibitory order under section 6 shall be made by beat of drum or other customary mode, in the concerned village, or in case of town or city, in the locality in which the act prohibited is likely to occur or has taken place

(2) The prohibitory order shall be displayed at some conspicuous place in the area or areas to which such acts relates and a copy thereof shall also be displayed in the office of the officer issuing the prohibitory order and such display shall be taken as a sufficient notice to all persons concerned in the area or areas to which such order relates.

5. Manner of making order for removal of temples or structures under sub-section (1) of section 7.—(1) Before making any order under sub section (1) of section 7 for removal of any temple or structure, the State Government or any other officer authorised by the State Government in this behalf, shall give at least 90 days notice to the person or persons involved in the acts complained of, and also to the owners and occupiers of the temple or structure proposed to be removed.

(2) The notice under sub-rule (1) shall specify—

(1) the temple/structure proposed to be removed, its location and other particulars,

(2) the owners/occupiers of the temple/structure, and

(3) the specific instance or instances of worship or ceremony contravening the provisions of section 7

(3) The State Government or the officer authorised by the State Government in this behalf shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the persons specified in the notice, order the removal of the temple or structure through a police officer not below the rank of the Sub-Inspector.

6. Manner of making order for removal of temples or structures under sub-section (2) of section 7.—(1) After issue of a prohibitory order under section 6, the Collector or the District Magistrate, or such other officer as directed by the State Government by order under rule 3, shall, before making any order for removal of any temple or structure under sub-section (2) of section 7, give at least 90 days notice to the person or persons involved in the acts complained of, and also to the owners and occupiers of the temple or structure proposed to be removed.

(2) The Collector or the District Magistrate, or such other officer as directed by the State Government by order under rule 3, shall follow the provisions of sub-rules (2) and (3) of rule 4 in the case of orders made under this rule.

7. Inventory and forefeiture of the property of temple or structure.—As soon as the order of removal of the temple or structure is executed, the State Government or the Collector or the District Magistrate, or as the case may be, the officer as directed by the State Government by order under rule 3, shall prepare an inventory of all the material and other property obtained after removal of such temple or structure specifying in it the place where it is lodged or kept, and shall forward the intimation thereof to the Special Court for declaration of forfeiture of the said material or property to the State under section 13, if the Special Court considers it necessary so to do, and shall also give a copy of the inventory to the owners/occupiers of the temple/structure removed.

[File No. 9-109/88-WW : Vol. III]

C. P. SUJAYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

IndiaCode